(118) (118) नि० 103124/2018/शहडोल/भू-रा०

समक्ष –श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर,
कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्रीमती सुभद्रा सोनी पति श्री संतोष कुमार सोनी
निवासी वार्ड क0 13 सोनरान टोला ब्यौहारी
जिला शहडोल म0प्र0 ——— निगरानीकर्ता

प्रति

1 योगवेदान्त सेवा समिति बरौधा रोड ब्यौहारी
जरिये अध्यक्ष लालजी गुप्ता पिता श्री शिव प्रसाद गुप्ता
निवासी ब्यौहारी तह0ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0
2 श्रीमती किरण सिंह पति श्री ददन सिंह साकिन सूखा
3 श्रीमती सावित्री बाई पति अवध नरेश कुशवाहा
दोनो निवासी ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल म0प्र0
4 म0प्र0 शासन द्वारा हल्का पटवारी ब्यौहारी ——— उत्तरवादीगण

अधि०श्री एस०पी०सोनी द्वारा पेश। 22-5-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश –न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 के न्यायालय का निर्णीत राजस्व द्वितीय अपील कमांक–244/अपील/17–18 श्रीमती सुभद्रा सोनी विरूद्ध लालजी गुप्ता वगै0 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध ।
निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,
प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

1. यह कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी कय भूमि खसरा नं0 1000/2घ रकवा 0.202हे0 एवं भूमि खसरा नं0 1001/3 रकवा 0.477हे0 भूमि उसके कय शुदा पट्टे की आराजी है जिसका मौके पर निगरानीकर्ता काबिज काश्तकार है। निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालय तहसीलदार ब्यौहारी के न्यायालय के माध्यम से अपने काबिज भू भाग रकबे का राजस्व नक्शा में बंटाकन/नक्शा तरमीम की कार्यवाही कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका रा0प्र0क0 87/अ–3/2012–13 आदेश दिनांक 15.03.2013 था। जिसके माध्यम से तहसीलदार ब्यौहारी के द्वारा आदेश पारित करते हुए राजस्व नक्शा में तरमीम इत्तलाबी करने संबधी आदेश जारी किए थे।

सुभद्रा सोनी

(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(176)

प्रकरण क्रमांक- निग./03124/18/शहडोल/भू.रा.

श्रीमती सुभद्रा विरूद्ध योगवेदान्त सेवा समिति आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक दिनांक 18/10/18 से लगातार 07 पेशियों से अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	